

विक्रय पत्र

विक्रय पत्र अंकन : 1,44,84,240/ रुपये ।

(4)

स्टाम्प पेपर -प्रश्नगत भूमि के क्रय हेतु किये जा रहे निबन्धन में कर एवं निबन्धन विभाग की अधिसूचना संख्या-क0नि0-5-893/ ग्यारह-2010-500-(83)-2005 दिनांक 06 मई 2010 की व्यवस्था के अनुसार संबंधित विकासकर्ता कंपनी/कन्सार्शियम (क्रेता) स्टैम्प ड्यूटी से छूट के लिये पात्र है।

विवरण विक्रय भूमि :-कृषि भूमि खाता नं0 29 के खसरा नम्बर 148 रकबई 1.7530 है0 का 1/2 भाग यानि 0.8765 हैकटेयर व खाता नं0 147 के खसरा नम्बर 144 रकबई 0.5340 है0 का 1/2 भाग यानि 0.2670 हैकटेयर व खाता नं0 234 के खसरा नम्बर 331 रकबई 0.4280 है0 कुल क्षेत्रफल 1.5715 हैकटेयर खतौनी वर्ष 1416 ता 1421 फसली जो विक्रय की जा रही है, ग्राम दुरवाई परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में स्थित है ।

(2) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है। जो किसी भी मुख्य मार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित नहीं है। भूमि मुख्य मार्ग से लगभग 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है तथा संक्रमणीय भूमिधरी की भूमि है। विक्रय भूमि के चारों ओर 200 मीटर से अधिक तक कृषि कार्य हो रहा है। जिसका सरकारी सर्किल रेट 85,00,000/- रुपये प्रति हैकटेयर है लेकिन प्रथम पक्ष ने सौदा द्वितीय पक्ष अंकन 1,44,84,240/- रुपये (एक करोड़ चत्वारसीस लाख चौरासी हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र) में तय है।

Bell Flower Housing & Land Developers



(2)

मैसर्स बैल फ्लावर हाउसिंग एण्ड लैंड डेवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फैंडस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री विनय चौधरी पुत्र श्री डी० वी० सिंह निवासी-33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फैंडस कालौनी नई दिल्ली (रेजुलेशन दिनांक 23-09-10) प्रथम पक्ष विक्रेता । (कम्पनी का पेन नं० AADCBO170E.)

एवम्

मैसर्स उप्पल चढढा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फैंडस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी-33, कम्यूनिटी सेंटर न्यू फैंडस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष क्रेता ।

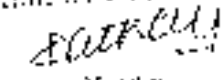
(3) विदित हो कि उपरोक्त वर्णित भूमि स्थित ग्राम दुरथाई परगना व तहसोल दादरी जिला गोंतमबुद्धनगर को हम (कम्पनी उपरोक्त) प्रथम पक्ष/विक्रेता ने वजारीचे बैनामा सं० 12071 दिनांक 17-08-2007 जिसकी खण्ड संख्या 828 है व बैनामा सं० 12072 दिनांक 17-08-2007 जिसकी खण्ड संख्या 828 है व बैनामा सं० 12073 दिनांक 17-08-2007 जिसकी खण्ड संख्या 829 है खरीदी है और तदनुसार वर्तमान भू अभिलेखों में कम्पनी का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है और उसी अनुसार हम मालिक व काधिज है और विक्रय अधिकारी है -

(4) विक्रीत भूमि कृषि भूमि है जिसके विक्रय में स्टाम्प अधिनियम की धारा 27(1) का सत्यतापूर्वक अनुपालन किया गया है।

For Bell Flower Housing & Land Developers


Authorized Signatory

For Bell Flower Housing & Land Developers


Authorized Signatory



~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~
~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~
~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~
~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~
~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~
~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~ ~~25/7/10~~

25/7/10
 25/7/10

25/7/10

25/7/10

25/7/10
 25/7/10

25/7/10

25/7/10

(5) यह कि विक्रीत भूमि आज दिन तक हर प्रकार के भार बन्धक से मुक्त है और अन्य आड, रहन, हिबै, इकरार-विक्रय आदि दोषों से मुक्त है इस विक्रय भूमि से संबंधित कोई मामला किसी भी न्यायालय व सरकारों व अर्द्धसरकारी विभाग/कार्यालय में न तो दर्ज है और न ही विचारधीन है और न ही किसी निर्णित आदेश का क्रियान्वयन ही लम्बित है यानि हर प्रकार से सुरक्षित है ।

(6) यह कि हम विक्रेता (कम्पनी) को वास्ते तरक्की काशत एवं निजी आवश्यकताओं हेतु पैसों की आवश्यकता है और मुझे अपनी उक्त भूमि की उचित कीमत क्रेता कम्पनी से मिल रही है अतः हमने अपनी खुशी से बिना किसी दबाव व धमकाव के, स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में मय सद्यस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना, दाखिली-खारिजी, आदि जो हमें विक्रीत भूमि से प्राप्त थे आदि आदि को आज की तारीख में विक्रय धनराशि अंकन-1,44,84,240/-रूपये (एक करोड़ चत्वारसीस लाख चौरासी हजार दो सौ चालीस रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन-72,42,120/-रूपये (बहत्तर लाख बयालीस हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) होते हैं के एवज में बहक द्वितीय पक्ष/ क्रेता फर्म उपरोक्त मैसर्स उप्पल चट्टा हाई टेक डेवलपर्स प्रा० लि० पंजीकृत कार्यालय 33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली द्वारा श्री दीपक पाठक पुत्र श्री अम्बादत्त पाठक, निवासी-33, कम्युनिटी सेंटर न्यू फेन्डस कालौनी नई दिल्ली अधिकृत हस्ताक्षरी द्वितीय पक्ष को बैय कर दिया है यानि कतई बेच दिया है और भूमि की कुल विक्रय धनराशि मुझे विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त कर लिया है। अब कुछ भी विक्रय धनराशि बाकी नहीं रही है।

For Bell Flower, Planning & Land Developers

Authorized Signatory

For Bell Flower, Planning & Land Developers Pvt. Ltd.

Authorized Signatory



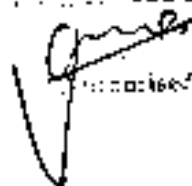


(7) विक्रय भूमि का कब्जा मीके पर क्रेता का पूर्ण रूप से करा दिया है जिसके क्रेता पूर्णतः मालिक काबिज बन गये हैं उनको सर्वथा अधिकार है कि वह उक्त भूमि से सम्बद्ध सुखाधिकारों सहित जिस प्रकार चाहे बहसियत मालकाना प्रयोग में लावे।

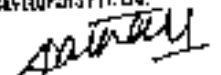
(8) विक्रेता, विक्रीत भूमि के बाबत समस्त कागजात में बजरिये बैनामा दाखिल स्वारिज मालकागजात में कराकर क्रेता का नाम दर्ज करवायेगा या जो स्थान दर्ज करवा सकते हैं तथा आवश्यक प्रपत्रों पर जहाँ चाहे हस्ताक्षर प्रथम पक्ष से करा सकते हैं, विक्रेता/ प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अतः अब विक्रय पश्चात विक्रीत भूमि की मिल्कियत, भूमि में निहित हित व उसके मूल्य धन तथा किसी अंश से विक्रेता व वारिसान विक्रेता का, अब कोई संबंध नहीं रहा और न कभी रहेगा।

(9) विक्रीत भूमि पर आज दिन तक प्रथम पक्ष /विक्रेता की ओर कोई भार निकला और निकला हुआ भार क्रेता को अपने पास से अदा करना पड़ा अथवा विक्रेता के अनाधिकार से या विक्रेता के उत्तराधिकारियों की दायेश्वरी या किसी कानूनी नुकस आदि से विक्रय भूमि कुल अथवा उसका कोई अंश क्रेता या उसके वारिसान या स्थानापन के कब्जे मालकाना से निकल जाये, तो हर ऐसी दशा के उत्पन्न होने पर प्रथम पक्ष/ विक्रेता व उसके स्थानापन पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे तथा क्रेता व उसके उत्तराधिकारीगणों को पूर्ण अधिकार होगा कि अपने पास से अदा किये गये भार की तथा कब्जे से निकल जाने वाली भूमि की विक्रय धनराशी को मय हर्जे खर्चे प्रथम पक्ष विक्रेता व विक्रेता के वारिसान की चल व अचल

For Bell Station, ... and ... Development


Authorised Signatory

For UPAL CHADRA NIGLIH DEVELOPERS PVT. LTD.


Authorised Signatory





(5)

सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल करा सकते हैं जिस पर प्रथम पक्ष /विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(10) यह कि प्रथम पक्ष ने विक्रीत भूमि के स्वामित्व से संबंधित सभी मूल दस्तावेज(मूल बैनामा, अदेयता प्रमाण पत्र, प्रमाणित खसरा खतौनी, नक्शा, जगति प्रमाण पत्र, तथा वारहसाला, प्रमाण पत्र, आदि) जो विक्रेता के पास उपलब्ध हैं, उन्हें विक्रय के साथ साथ क्रेता को सौंप देगा ।

(11) विक्रय पत्र का समस्त खर्चा क्रेता ने वहन किया है।क्रेता कम्पनी का पैन नं० AAACU7200M है ।

(12) अतः यह विक्रय पत्र खूब सोच समझ कर, सुझकर यह कर गवाहों की उपस्थिति में लिख दिया गया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आए।

(13) विक्रेता ने कुल विक्रीत भूमि रकबाई 1.5715 हैक्टर, खाता नं० 29 के खसरा नम्बर 148, व खाता नं० 147 के खसरा नम्बर 144 व खतः नं० 234 के खसरा नम्बर 331 स्थित ग्राम दुरवाई परगना व तहसील दादरी जिला गोंतमबुद्धनगर के निम्नलिखित निम्न विवरण के अनुसार विक्रय धनराशी प्राप्त कर ली है:

For Bell Electric Co. and Land Developers

Authorised Signatory,



For Bell Electric Co. and Land Developers

Authorised Signatory,



111



(6)

101

(14) एक्सेस बैंक लि० अम्बेडकर रोड नेहरू नगर गाजियाबाद ब्रान्च बैंक नम्बर 262809 अंकन-1,44,84,240/-रूपये (एक करोड़ चत्वारसी लाख चौरासी हजार दो सौ चालीस रुपये मात्र) दिनांकित 15-10-2010 फरीक अज्जल कम्पनी द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त कर लिये गये है।

For Bell Flower Housing & Land Developers

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा)
फरीक अज्जल (विक्रेता)

For Bell Flower Housing & Land Developers Pvt. Ltd.

Authorised Signatory

(हस्ताक्षर/निशानी)
फरीक दोयम (विक्रेता)

गवाह नं०- राबिन सिंह पुत्र श्री नरेश सिंह निवासी-481 गौर होम्स गोविन्दपुरम गाजियाबाद । डी एल. नं०: 094329/HT

Singh

गवाह नं०- संजीव कुमार पुत्र श्री जयपाल सिंह निवासी-रूम नं०-216, पुलिस लाईन, हरसाँव गाजियाबाद । डी. एल. नं०: NT118897

तहरीर दिनांक : 20.10.2010 मसौदाकर्ता तेजेन्द्र सिंह एडवोकेट गाजियाबाद

Tejendra Singh
Advocate
Court 172

दिनांक 20/10/10
 ले पुस्तक संख्या 2563
 पृष्ठ 102 खण्ड संख्या 11.912
 क्रम संख्या
 निम्नीकृत क्रमांक

हस्ताक्षर
 क. नम निम्नीकृत

